भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 386
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का क्रियान्वयन

†386. श्री अ. मनिः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता को मजबूत करने के लिए धर्मपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) लागू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो संशोधित योजना की शुरूआत से धर्मपुरी जिले में पंचायतों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) धर्मपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ₹ई-ग्राम स्वराज, ऑडिट ऑनलाइन, मेरी पंचायत और पंचायत 'निर्णय' प्लेटफार्मों के अंतर्गत शामिल की गई ग्राम पंचायतों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) धर्मपुरी के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की भागीदारी को मजबूत करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व विकास और पंचायत पदाधिकारियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार धर्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र की सभी पंचायतों में डिजिटल शासन उपकरणों को 100 प्रतिशत अपनाना सुनिश्चित करने के लिए आरजीएसए के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता या अवसंरचना प्रदान करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू कर रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु के धर्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु नेतृत्व भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य

हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण करना है।

वित्त वर्ष 2022-23 से इस योजना के तहत (25.11.2025 तक) तमिलनाडु राज्य को 90.42 करोड़ रुपये (केंद्रीय और राज्य का हिस्सा) की राशि जारी की गई है, जिसमें से 127.86 करोड़ रुपये का उपयोग आरजीएसए के अनुमोदित घटकों के लिए किया गया है जिसमें पंचायत स्तर पर शासन में सुधार के लिए क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। निधियों के उपयोग में पिछले वर्षों का अव्ययित शेष शामिल है। योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं, न कि जिलों/पंचायतों को।

(ग) जैसा कि राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया है, ई-ग्रामस्वराज, ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई-ग्रामस्वराज, ऑडिटऑनलाइन, मेरी पंचायत और पंचायत निर्णय प्लेटफार्मों के तहत धर्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में 285 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) योजना के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विभिन्न श्रेणियों अर्थात बुनियादी प्रबोधन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस/डिजिटल साक्षरता, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि को शामिल करने वाले विशेष प्रशिक्षण के तहत सहायता की जाती है। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, यह योजना एक्सपोजर दौरा, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री तैयार करने आदि के लिए भी सहायता करती है। इसके अलावा, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत उत्कृष्टता संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया गया है। मंत्रालय विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित करता है और क्रॉस स्टेट लर्निंग के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अलावा, यह योजना सीमित पैमाने पर, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली की बनाने और तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के सह-स्थापन जैसे पंचायत अवसंरचना के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

****